

पुलिस गोदान सं 229/91.

पुलिस आदेश सं 219/90 एवं पुलिस आदेश सं 0227/91 के द्वारा जारी की गई।
पुलिस अधिकारीको तक के पदाधिकारीयों का ऐत पुलिस में पदस्थापन अप्रैय पदस्थापन
मार्गी आरक्षों का उल्लेख नहीं गया है किन्तु ऐत पुलिस में पदस्थापन का अधिकारी का जिक्र नहीं
है।

ऐत पुलिस में आर्य का काठनाई एवं छसके स्वरूप को देखो हुए अधिकारी परान्त
ऐत जिता में पदस्थापना को अवाप्त सामग्रीया चार चार क्षण रखो जाती है।

पुलिस 229/91

अमृत कुमार चौधरी
महानदेशक एवं आरक्षी महानरोक्षक, बिहार, पटना।

जायजि 7887 पो-2

7-6-93-90 पा ई-3

महानदेशक एवं आरक्षी महानरोक्षक कार्यालय, बिहार।
पटना, दंदनामही १० नवम्बर, 1991

प्रतिलिपि:-

१।-महानदेशक, लिपेश झाँडा, तकनाका सेवासं, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

२।-अपर महानदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभो प्रबोधीय

आरक्षी महानरोक्षक/आरक्षी महानरोक्षक, ऐत, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ।

३।-सभो देवेश आरक्षी उप-महानरोक्षक/आरक्षी उप-महानरोक्षक, ऐत/

आरक्षी उप-महानरोक्षक प्रांगण, पाठोपाठो को चयनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु।

४।-सभो आरक्षी अधिकारी, ऐत आरक्षी अधिकारी, महानदेशक, आरक्षी अधिकारी,

प्रशिक्षण केन्द्र, पदमा को सूचनार्थ।

महानदेशक एवं आरक्षी महानरोक्षक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

प्रभाषा पदाधिकारी, पो-१ प्रभाषा पो-२ प्रभाषा गजटौ को द्वितीय मैल्य-पैठे
प्रभाषा/सक्स-स्ल प्रभाषा को सूचनार्थ एवं आवश्यक त्रियार्थ।

श्रीवास्तव/ १६. ११. ९१